संख्याः 2–4/2020 ई0एक्स0एन0एच0स्थापना–26907-26909
आबकारी एवं कराधान विभाग
हिमाचल प्रदेश।

दिनांकः शिमला–171009 22-10-2020

कार्यालय आदेश

अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः पीईआर(एपी)सी–बी(2)–1/2014 दिनांक 22.04.2020 की अनुपालना में विभागीय जांच समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जिन्होने दिनांक 30.09.2020 को दैनिक वेतन भोगी आधार पर (05) पांच वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, को निम्नवर्णित नियम व शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित कार्यालय के सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थिति सूचना प्रस्तुत करने की तिथि से वेतनमान रू0 4900–10680 +1300 ग्रेड पे के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन रू0 6200 (4900+1300 ग्रेड पे व अन्य देय भते) में चौकीदार के पद पर नियमित किया जाता हैः–

| क्र0 सं0 | कर्मचारी का नाम | कर्मचारी का पता | कर्मचारी की जन्म तिथि | दैनिक वेतन भोगी आधार पर नियुक्ति की तिथि | तैनाती का स्थान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री जितेन्द्र सोडा, | पुत्र श्री प्यारे लाल सोडा, गांव उप–मुहाल दोलग, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन। | 07.08.1970 | 25.06.2012 | मुख्यालय राज्य कर एवं आबकारी विभाग, शिमला–171009. |
| 2. | श्री नवजोत सिंह, | पुत्र स्व0 श्री रमेश कुमार, गांव नलवा, डाकघार व तहसील, कसौली, जिला सोलन। | 17.10.1993 | 10.04.2015 | कार्यालय संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, (उ0द0) (द0क्षे0) परवाणू, जिला सोलन। |
| 3. | श्रीमती जरना कुमारी, | पत्नी स्व0 श्री रमेश कुमार, गांव कुटवा, डाकघर निशानी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू। | 01.05.1974 | 22.08.2015 | कार्यालय उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, जिला कुल्लू। |

नियम एवं शर्तेः–

1. चौकीदार के पद पर यह नियुक्ति अस्थाई है।
2. यद्यपि उक्त कर्मचारियों का नियमतीकरण चौकीदार के रिक्त पदों के विरूद्ध किया जा रहा है तथापि विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें चतुर्थ श्रेणी के अन्य कार्यों के निष्पादन हेतु भी तैनात किया जा सकता है जबकि क्रम संख्या 01 में वर्णित कर्मचारी को सफाई कर्मचारी का काम भी आबन्टित किया जा सकता है।
3. कर्मचारी को सरकारी सेवा से एक माह के नोटिस पर बिना कोई कारण बताये पदच्युत किया जा सकता है। यह नोटिस सरकार तथा कर्मचारी किसी भी पक्ष द्वारा दिया जा सकता है।
4. नियुक्ति करने वाले प्रधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उसकी सेवाओं को एक मास का वेतन भत्तों के समान राशि देकर भी समाप्त कर सकता है।
5. कर्मचारी को दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करनी होगी।
6. कर्मचारी को यह शपथ ग्रहण करनी होगी कि वह अपने कर्तब्यों का निर्वहन पूर्ण निष्पक्षता व ईमानदारी से करेंगे तथा भारतीय संविधान के प्रति सत्यनिष्ठ रहेंगे।

7. कर्मचारी की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्थान पर की जा सकती है।

8. कर्मचारी की नियुक्ति विभाग के अंतर्गत उपक्रम हिमाचल प्रदेश बिवरेजिज लिमिटेड, में भी की जा सकती है।

9. कर्मचारी को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र मूल रूप में उपस्थिति सूचना के साथ प्रस्तुत करने होंगे।

10. कर्मचारी यह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि यदि वह विवाहित है तो उसकी केवल एक ही पत्नी/पति है।

11. कर्मचारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी से अपनी स्वस्थता संबंधि चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे तथा तदोपरांत ही उनकी उपस्थिति ली जाएगी।

12. कर्मचारी की नियुक्ति संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके चरित्र एवं पूर्ववृत के सत्यापन पर निर्भर करेगी।

13. कर्मचारी किन्ही दो राजपत्रित अधिकारियों से जो उन्हे लगभग तीन वर्ष से जानते हों से अपने अच्छे चाल चलन का प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करेंगे।

14. यदि कर्मचारी आरक्षित वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं तो वह इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

यदि उपरोक्त नियुक्ति प्रस्ताव उम्मीदवारों को स्वीकार्य हो तो उसे इस आदेश के जारी होने के पश्चात् 10 दिनों के भीतर–2 अपनी उपस्थिति सूचना उपरोक्त तालिका में उम्मीदवार के नाम के विरूद्ध दर्शाए गए कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

रोहन चन्द ठाकुर(भा0प्र0से0)
आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी,
हिमाचल प्रदेश।
दूरभाष न0–2621835

पृष्ठांकन संख्याः2–4/2020 ई0एक्स0एन0एच–स्थापना–26910-26 22-10-2020

प्रतिलिपिः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक) को उनके पत्र संख्याः पीईआर(एपी)सी–बी(2)–1/2014 दिनांक 22.04.2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) हि0 प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) शिमला–03 को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी (उ0द0)(द0क्षे0)परवाणू जिला सोलन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।
5. उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, बी0बी0एन0बददी, जिला सोलन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।
6. उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, जिला कुल्लू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।
7. जिला कोषाधिकारी, राजधानी कोष शिमला–02 को सूचनार्थ प्रेषित है।
8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी शिमला, कुल्लु व परवाणू जिला सोलन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है।
9. बिल सहायक, कार्यालय आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हि0 प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित है।
10. श्री जितेन्द्र सोडा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, कार्यालय आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हि0 प्र0 को अनुपालना हेतु प्रेषित है।
11. श्री नवजोत सिंह, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, कार्यालय उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, बी0बी0एन0बददी, जिला सोलन को अनुपालना हेतु प्रेषित है।
12. श्रीमती जरना कुमारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, कायालय उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, जिला कुल्लू को अनुपालना हेतु प्रेषित है।
13. आई0टी0 शाखा को इस आशय के साथ प्रेषित है कि यह कार्यालय आदेश शीघ्र विभागीय साईट पर अपलोड किया जाए।
14. निजी नस्ति/गार्ड फाईल।

रोहन चन्द ठाकुर(भा0प्र0से0)
आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी,
हिमाचल प्रदेश।
दूरभाष न0–2621835